

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान


क्रमांक : भूमि/एफ.7(ड)()डीएलबी/23/ 4142

दिनांक:- 15-05-2023

आदेश

मूल भूखण्ड के स्वाभित्त्व दस्तावेजो से अधिक कब्जे की भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में विभागीय आदेश क्रमांक 22969 दिनांक 29.10.21 के बिन्दु संख्या 1 तथा अधिसूचना क्रमांक 2012 दिनांक 29.10.21 के बिन्दु संख्या 2 में आंशिक संशोधन करते हुए यह प्रावधित किया जाता है कि मूल भूखण्ड के साथ कब्जे में ऐसी अतिरिक्त भूमि, यदि भवन रेखा में है एवं मार्गाधिकार का भाग नहीं है, तो ऐसी अतिरिक्त भूमि का अधिकतम क्षेत्रफल, मूल भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 300 वर्गमीटर तक जो भी कम हो, तक होगा, जिसकी राशि आरक्षित दर की 10 प्रतिशत अथवा डीएलसी दर की 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, वसूल की जावेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(
डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव

(
कुंजी लाल मिश्रा)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : भूमि/एफ.7(ड)()डीएलबी/22/ 4143-4163

दिनांक:- 15-05-2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
7. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
8. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, राजस्थान।
9. समस्त महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका, राजस्थान।
10. समस्त सचिव, नगरीय विकास न्यास, राजस्थान।
11. संयुक्त निदेशक, आई.टी. अनुभाग निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(
हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव